प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 42/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए सीएएस और एसएमएस के तकनीकी अनुपालन हेतु फ्रेमवर्क" पर खुला मंच चर्चा का आयोजन किया।

नई दिल्ली, 26 जून 2020- ऑनलाइन मोड पर खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित करने की नई पहल के साथ, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 25/06/2020 को "प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए सीएएस और एसएमएस के तकनीकी अनुपालन हेतु फ्रेमवर्क" संबंधी परामर्श पत्र पर अपने 5वें वर्चुअल (ऑनलाइन) खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया।
2. भादूविप्रा का प्रयास यह है कि वह महामारी के दौरान अनुचित जोखिम से बचकर हितधारकों के हितों की रक्षा करते हुए पारदर्शी सार्वजनिक भागीदारी की प्रक्रिया के सिद्धांतों से समझौता किए बिना, अपने नियामक कार्यों का निर्वहन जारी रखे।

3. देश भर से इस आयोजन के लिए 220 से अधिक प्रतिभागियों ने अपना पंजीकरण कराया। सेवा प्रदाताओं और उनके संघों के अलावा, प्रतिभागियों में प्रौद्योगिकी प्रदाता, व्यक्तिगत उपभोक्ता, उपभोक्ता समूह, स्वतंत्र उद्योग पर्यवेक्षक, मीडिया के लोग आदि शामिल थे। भादूविप्रा का ओएचडी का नया प्रारूप प्रतिभागियों को भारत में कहीं से भी यहां तक उनके घरों से भी आसानी से भाग लेने का अवसर प्रदान करता है जिसे सभी प्रतिभागियों ने सराहा है।

4. खुला मंच चर्चा 22 अप्रैल, 2020 के भादूविप्रा परामर्श पत्र के क्रम में आयोजित की गई थी जो "प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (कैस) और प्रसारण के लिए सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के तकनीकी अनुपालन के लिए फ्रेमवर्क" पर था। चैनल पाइरेसी की लगातार शिकायतों, अनएन्क्रिप्टेड सिग्नलों के प्रसारण, विभिन्न ब्रॉडकास्टरों से सब्सक्रिप्शन आदि की गलत रिपोर्टिंग और साथ ही, एमएसओ (अक्सर छोटे एमएसओ की ओर से) से प्रौद्योगिकी प्रदाताओं से संबंधित सपोर्ट और परिचालन संबंधी समस्याओं की शिकायतों के मद्देनजर परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई है।
5. विभिन्न हितधारकों ने शानदार और गहन भागीदारी की थी। लगभग सभी हितधारकों ने सहमति व्यक्त की कि वर्तमान अनुपालन तंत्र पर्याप्त नहीं है और अतिरिक्त उपायों की आवश्यकता है।

6. विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, जो लगभग चार घंटे तक चला, प्राधिकरण ने सभी हितधारकों को परामर्श पत्र में विचाराधीन मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने का एक और अवसर प्रदान किया। हितधारक 30 जून, 2020 तक श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (B & CS) को ईमेल advbcs-2@trai.gov.in पर नवीनतम टिप्पणी/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

7. परामर्श पत्र के जवाब में विभिन्न चरणों में सभी हितधारकों से प्राप्त जानकारी/टिप्पणियां, प्रति-टिप्पणियां, ओएचडी के दौरान मौखिक और लिखित जानकारी आदि का उनके गुण और प्रासंगिकता पर विश्लेषण किया जाएगा। भादूविप्रा तदनुसार उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों की सुरक्षा के समग्र उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए "प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए कंडिशनल एक्सेस सिस्टम् (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम्स (एसएमएस) के तकनीकी अनुपालन" के लिए नियामक ढांचे को अंतिम रूप देगा जो क्षेत्र की क्रमिक वृद्धि सुनिश्चित करेगा।

8. प्राधिकरण खुला मंच चर्चाओं को सफल बनाने में हितधारकों के योगदान और सक्रिय भागीदारी की सराहना करता है। हितधारक किसी भी अन्य जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए, अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (B & CS-2) से ईमेल advbcs-2@trai.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।